झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,चन्दनकियारी,बोकारो।

–: नामांकन सूचना :–

झारखण्ड राज्य के निवासी/स्थानीय निवासियों से झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एंव प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,चन्दनकियारी,बोकारो में SCVT के तहत प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित व्यवसायों में प्रवेश हेतु विहित प्रपत्र पर स्वहस्त लिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांकः01.07.2017 तक आमंत्रित किये जाते है :–

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि
01	विद्युत	42	दो वर्ष
02	फीटर	42	दो वर्ष
03	सर्वेयर	42	एक वर्ष
04	वेल्डर	32	एक वर्ष

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चन्दनकियारी,बोकारो में सत्र 2017 में नामांकन हेतु दिशा – निर्देश

01. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता(क) वेल्डर व्यवसाय के लिए आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।(ख) शेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक/10 वाँ/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर। (ग) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा। कंडिका–1 (क) एंव (ख) के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर आई0 एस0सी, आई0ए0, आई0 कॉम तथा इससे उच्चतर के उम्मीदवारों को 15 अंक का अधिकार दिया जायेगा।

02. आयु अहर्ताः– (क) 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एंव अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। (ख) सैन्य कारवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैध होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि बैद्य होगी।

03. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

04. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में 100/– (सौ रूपये) मात्र का पोस्टल आर्डर देना होगा। जो संबंधित **प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चन्दनकियारी** के पदनाम से भुगतेय होगा। किसी भी शर्त पर यह राशि नगद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा नहीं लौटायी जायेगी। पोस्टल आर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए।

05. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/– (पचास रूपये) मात्र कौशन मनी (अध्धान राशि) के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

06. अनु0 जाति/अनु0 जन जाति/पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।

07 आरक्षण अहर्ताः–

(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या–2020,दिनांक–09.04.2010 के अनुसार रहेगा।

(ख) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का नामांकन किया जायेगा।

(ग) यदि अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन जाति दोनों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा।

(घ) यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो पिछड़ा वर्ग से नामांकन किया जायेगा।

(ङ) यदि इसके बाद भी सीट बच जाती है तो उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जायेगा।

(च) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जायेगा।

(छ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चन्दनकियारी में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है, अर्थात कुल सीट = स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट।

(ज) सुपरन्यूमरी सीट की एक–एक सीट दिव्यांग एंव भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए (किसी भी वर्ग के) आरक्षित है।

(झ) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

08 आवासीय अहर्ताः– सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकतें है जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का 4650, दिनांक 02 जून, 2016 (संकल्प संख्या–3198, दिनांकः 18.04.16) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी

(अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

09 जाति आधारित अहर्ताः– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी**(अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति** नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है

10 आवेदन पत्र भेजने का पताः– नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय,बोकारो।

आवेदन के साथ (क) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ,उम्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ख) उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ग) उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं (घ) रू0 25/– का डाक टिकट सहित स्वपता लिखा एक लिफाफा (ङ) पंजीयन शुल्क के रूप में रू0 100/– (एक सौ रूपये) मात्र का पोस्टल ऑडर जो प्राचार्य,औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान,चंदनकियारी,बोकारो के पदनाम से भुगतेय होगा। पोस्टल ऑडर एक माह के अन्दर का होना चाहिए। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ **नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय,बोकारो** को निबंधित डाक द्वारा इस तरह भेजे ताकि दिनांकः **01/07/2017** तक प्राप्त हो जाय। अंतिम तिथि के पश्चात् या आधे–अधूरे भरे हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– (01) नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता,उम्र जाति एंव आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(02) विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पट्ट एंव BOKARO.NIC.IN तथा PRDJHARKHAND.GOV.IN के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

(मो0 इमरान फारूकी)
नियोजन पदाधिकारी
अवर प्रादेशिक नियोजनालय,बोकारो–सह–
नोडल पदाधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,चन्दनकियारी, बोकारो।

–: सूचना :–

झारखण्ड राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चन्दनकियारी, बोकारो में प्रवेश की सूचना

सरकारी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर 2017 से प्रारंभ होने वाले सत्र में नामांकन हेतु इच्छुक महिला एंव पुरूष उम्मीदवारों से अनुसूचि–''क'' के अनुसार स्व हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांक : 01/07/2017 तक आमंत्रित किए जाते हैं:–

अनुसूची ''क''

औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाये।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामः–..................................
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रजी के बड़े अक्षरों में):–.................
   (हिन्दी मे):–....................................
3. (क) पिता का नामः–..........................
   (ख) अभिभावक का नामः–......................
4. पिता/अभिभावक का पेशाः–.....................
5. उम्मीदवार का पूरा पताः–............................
   (क) स्थायी पताः–.............................
   (ख) थानाः–...................गृह जिला...............पिन न0............
   (ग) पत्राचार का पताः–...
6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशनः–............................
7. जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ):–.................................
8. दिनांक 1 जुलाई 2017 को आयुः–........................
9. शैक्षणिक योग्यता :–...............................

कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें:–

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविधालय का नाम	विधालय/महाविधालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष(वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									
4									
5									

नोटः– आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं?:–.... ....
11. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं?:–..
12. क्या उम्मीदवार दिव्यांग हैं?:–.......................................
13. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एंव नाबालिग दोनों की अलग–अलग संख्याः–..... ....
14. आवेदक पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क (100/–रूपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल आर्डर (एक महीने के अन्दर का होना चाहिए) की संख्या निर्गत होने की तिथि तथा राशि:–..........................
15. अनुलग्न की विवरणी:–1)................................2)........................3)..4)...............................5)... ....6)...............................7)........................... मैं...पिता का नाम................. ......प्रमाणित करती हूँ/करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एंव सही है।

आवेदन देने की तिथि आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः– (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एंव अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड(जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (civil surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।